Office : 0291- 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162
Secy.Mob. : 94141-32427

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

No.BCR/AA/Com./Ju/BA/2017/ 2207. दिनांक 24.04.2017

प्रतिष्ठा में,

श्रीमान अध्यक्ष / सचिव महोदय
राज्य की समस्त बार संघ

मान्यवर जी,

बार कौसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ने अपने ईमेल दिनांक 22.04.2017 के द्वारा यह सूचित किया है कि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया का एक प्रतिनिधिमण्डल दिनांक 21.04.2017 को माननीय श्री रविशंकर प्रसाद, केन्द्रीय कूनन एवं न्याय मंत्री से मिला। माननीय कूनन एवं न्याय मंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को यह आश्वसन दिया है कि भारतीय विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशो पर कोई कार्यवाही नही की जावेगी, जब तक कि उस पर बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, राज्य बार कौसिल एवं देशभर की बार संधो से विस्तारपूर्वक विचार विमर्श / चर्चा नही हो जाती है। माननीय केन्द्रीय कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट में भारत सरकार की कोई भूमिका / हस्तक्षेप नही है।

उक्त आश्वासन के बाद, बार कौसिल ऑफ इण्डिया ने 2 मई, 2017 को प्रस्तावित विरोध मार्च सहित आगे के सभी विरोध कार्यक्रम को वापिस लेने का निर्णय लिया है।

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की विशेष समिति एवं तदर्थ समिति के सदस्यों ने राज्य में स्थित सभी बार संघो एवं समस्त अधिवक्ताओं द्वारा उक्त बिल के खिलाफ पूर्ण सहयोग / समर्थन करने के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है एवं भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की आशा करती है।

सधन्यवाद।

भवदीय,

(राजेन्द्रपाल मलिक)
सचिव

सलंग्न : उपरोक्तानुसार